UPSR040012332026

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (विनीत कुमार यादव) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**02316

बेल अप्लीकेशन/601/2026

राज्य बनाम. रामचेरे

दिनांक–10.03.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा संख्या–2749/2018 अन्तर्गत धारा–323,504,506 भा०द०स० थाना इकौना जनपद श्रावस्ती में अभियुक्त **रामचेरे** ने इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसने कोई अफराध कारित नहीं किया है। वह मजदूरी के सिलसिले में बाहर चले जाने के कारण वह न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका और न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय अधिपत्र जारी हो गया। उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। वह निर्दोष हैं। अतः उसे उचित जमानतों पर रिहा किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। अभियुक्त के उपस्थित न आने पर न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानतीय अधिपत्र पर अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार होकर दिनांक 01.03.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध सात वर्ष तक या उससे कम दण्ड से दण्डनीय है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

अतः अपराध की प्रकृति, जेल में निरुद्ध रहने की अवधि तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त को बीस हजार रुपये का जाती मुचलका एवं समान धनराशि की दो नयी जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त किया जाये।

आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार श्रावस्ती/बहराइच को प्रेषित की जाये।

(विनीत कुमार यादव)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
श्रावस्ती।